

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	Etawah	स्व० श्री सचेद सिंह	सर्वश्री श्री गहरवार मेडीकल स्टोर, फर्रुखाबाद	29-03-2023	श्रीमती दिव्या, पत्नी	10.00 लाख
2	Etawah	स्व० श्री ब्रजेश कुमार दीक्षित	सर्वश्री दीक्षित टायल्स एण्ड सेनेटरी, फर्रुखाबाद	05-09-2024	श्रीमती सरिता दीक्षित, पत्नी	10.00 लाख
3	Etawah	स्व० श्री राजीव	सर्वश्री निशा इलेक्ट्रीकल्स एण्ड रेफ्रीजेशन, इटावा	27-12-2024	श्रीमती रामकान्ती, पत्नी	10.00 लाख
4	Aligarh	स्व० श्री देवी दास	सर्वश्री राधा स्वामी सूट हाउस, मथुरा	30-01-2025	श्रीमती मायादेवी, पत्नी	10.00 लाख
5	Gorakhpur	स्व० श्री दीपक कुमार निगम	सर्वश्री दीपक प्रोविजनल स्टोर, देवरिया	06-02-2025	श्रीमती चांदनी निगम, पत्नी	10.00 लाख
6	Ayodhya	स्व० श्री वेद प्रकाश	सर्वश्री वेद प्रकाश हार्डवेयर एण्ड आयरन स्टोर, सुलतानपुर	06-05-2025	श्रीमती साक्षी जायसवाल, पत्नी	10.00 लाख
7	Moradabad	स्व० श्री अकील अहमद	सर्वश्री मुनीर हैण्ड्रीकफ्ट, नगीना	10-07-2025	श्रीमती मुनव्वर जहाँ, पत्नी	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभार-अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, इटावा, अलीगढ़, गोरखपुर, अयोध्या, मुरादाबाद को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, इटावा, मथुरा, गोरखपुर-बी, अयोध्या-ए, बिजनौर को सूचनार्थ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

प्रभार-अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।